

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक :-लेखा एवं वित्त. III / मेडिकल / 2024 01

दिनांक :- 06-4-24

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या A&F-III/Medical/2023-2024/2372 दिनांक 04.12.2023 में शामिल AMA's/ Specialists / Dentists / Vaidyas / Homeopaths / Diagnostic Centres / Nursing Homes / Hospitals etc. की विश्वविद्यालय से मान्यता अवधि को दिनांक 31.05.2024 अथवा नवीन सूची जारी होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाई जाती है।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

- E -


(रामसुख जाटोलिया)
वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :-लेखा एवं वित्त-III / मेडिकल / 2024-02-20

दिनांक : 6-4-24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, निदेशक/प्रभारी अधिकारी/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईया, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/कॉमर्स/विधि महाविद्यालय, (प्रातः एवं सांय) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. मुख्य कुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इसे विश्वविद्यालय की अधिकृत वेब-साइट पर अपलोड तुरन्त प्रभाव से करावें।
8. निजी सचिव, कुलपति महोदया/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द कुमार शर्मा) 4/4/24
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त